कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

International Year of Cooperatives 2025

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सूचना/18870/2022–23/ दिनांकः यथाहस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।

विषयः–गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को टी.सी. जारी करने बाबत्।

प्रसंगः–शासन का पत्र क्रमांकः–F.01(4)Ele./2024-05288 जयपुर, दिनांकः 25.08.2025।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा अनेक कारणों से विद्यार्थियों को यथासमय टी.सी. जारी नही किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आ रहे है। इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अन्य विद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को उसके माता–पिता/अभिभावक द्वारा आवेदन पर टी.सी. जारी की जावे ताकि विद्यार्थी का अध्ययन निर्बाध रूप से जारी रह सके। विद्यालय प्रबंधन तथा माता–पिता/अभिभावक के मध्य विवाद होने की स्थिति में भी विद्यार्थी की टी.सी. नहीं रोकी जावे जिससे विद्यार्थी का हित प्रभावित न हो। टी.सी. हेतु आवेदन किए जाने पर भी नही दिये जाने की स्थिति में गैर सरकारी विद्यालय के विरूद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993, संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(सीताराम जाट)
IAS
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.09.10 07:46:01 IST
Reason: Approved